

पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

11-22 उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 19.1.23 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11.11.22 वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने  
से पत्रावली सिवाह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल  
पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण में प्रार्थना पत्र में बताया गया कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध  
अब प्रकरण में क्षारी कोई कार्यवाही नहीं चाहता  
है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर नोट प्रैस में ड्रॉप/क्षारी  
फरमाया जावे।

मैंने वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का  
अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।  
वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही  
नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर नोट प्रैस  
में ड्रॉप/क्षारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

